उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या– 260832 / IV(3)/2024–11(01 निर्वाचन)/2024
देहरादून दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 540 में राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा एवं धारा 540 (2) में अपेक्षित पूर्व प्रकाशन की शर्तों को अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

और चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (3) में, राज्य सरकार में पूर्व प्रकाशन के बिना नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव, अब राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 540 सपठित धारा 7 एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगमों में स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1. (1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 है।
	(2)	यह उत्तराखण्ड के उन सभी नगर निगमों पर लागू होगी, जहां स्थानों और पदों को निर्वाचन द्वारा भरा जाता है।
	(3)	यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.	इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो– (क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अभिप्रेत है; (ख) "अध्यक्ष" से यथास्थिति नगर निगम के नगर प्रमुख अभिप्रेत है;

		(ग) "पद" से यथास्थिति नगर निगम के नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख अभिप्रेत है;
		(घ) "स्थान" से यथास्थिति नगर निगम के निर्वाचित पार्षद के स्थान अभिप्रेत है;
		(ड)"राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
		(च) "राज्य के नगरीय क्षेत्र" से राज्य के समस्त नगर निगमों के नगर निगम क्षेत्र अभिप्रेत है।
कक्षों की व्यवस्था	3.	अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अनुसार कक्षों का परिसीमन करने के पश्चात् तथा संख्यांकित करने के पश्चात् ऐसे क्रम में रखा जायेगा कि नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले कक्ष को 1 संख्यांकित किया जायेगा और कक्ष संख्या 1 की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले कक्ष को 2 संख्यांकित किया जायेगा और शेष कक्षों को इसी प्रकार संख्यांकित किया जायेगा।
आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण	4.	(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह नगर निगम के कुल स्थानों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढा दिया जायेगा और यदि भाजक का आधा या आधे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या, यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी। (2) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह नगर निगम के कुल स्थानों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो नगर निगम क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की संख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढा दिया जायेगा और यदि भाजक का आधा या आधे से कम है

		तो इसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या, यथास्थिति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगीः परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (3) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और उपनियम (2) के अधीन पिछडे वर्ग के लिए अवधारित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी। (4) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन महिलाओं के लिये किसी नगर निगम में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस नगर निगम में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि स्थानों की संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उपनियम (3) के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या होगी।
स्थानों का आवंटन	5.	(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर निगम में, विभिन्न कक्षों की एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी– (क) पहले नगर निगम क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार नगर निगम के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जाति के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जाति की जनसख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किया गया है, को अनुसूचित जाति की

		जनसंख्या के अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी। (ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये थे, को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित किया जायेगा। (ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्ग की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन स्थान आवंटित किये गये थे, को पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित किया जायेगा। (घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर निगम क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा :

		(2) यदि किसी नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति की या किसी नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की या किसी नगर निगम क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आधार पर– (क) यथास्थिति, अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए केवल एक ही स्थान आरक्षित किया जा सके तो ऐसा स्थान यथास्थिति ऐसी जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आंवटित किया जायेगा। (ख) यथास्थिति, अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी स्थान आरक्षित न किया जा सके, तो उपनियम (1) के निर्दिष्ट स्थानों के आंवटन की रीति ऐसी होगी मानो उसमें यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए कोई निदेश नहीं है।
नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण और आवंटन	6.	(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण और आवंटन एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा– (2) **आरक्षित किये जाने वालें पदों की संख्या–** (क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह नगर निगमों के कुल पदों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है, और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी। पिछड़े वर्ग के लिए नगर निगम में आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह नगर निगमों के कुल पदों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो नगर निगमों में पिछड़े वर्ग की संख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है, और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो वह भाजक का आधा या आधे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढा दिया जायेगा और इस

		प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी: परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। **(ख)** महिलाओं के लिए जिसमें, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की महिलायें भी सम्मिलित हैं, आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन उपबन्धित रीति से अवधारित की जायेगी। (3) **(एक)** खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए उपनियम (2) के अधीन अवधारित पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि – **(क)** उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन अनुसूचित जाति के लिए अवधारित पदों के आंवटन के उद्देश्य से सर्वप्रथम सभी नगर निगमों की सूची किसी नगर निगम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये आरोही क्रम में तैयार की जायेगी। **(ख)** इसके पश्चात इस सूची में से ऐसे नगर निगमों को हटा दिया जायेगा जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10,000 (दस हजार) से कम हो। इसके पश्चात इस सूची से ऐसे नगर निगमों को भी हटा दिया जायेगा, जिनके नगर प्रमुख के पद पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित रह चुके हों। **(ग)** इसके पश्चात शेष सूची के प्रथम नाम से प्रारम्भ करते हुये अनुसूचित जाति हेतु अवधारित कुल पदों की संख्या के समानुपात में अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान किया जायेगा। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित निगमों के अतिरिक्त अन्य निगमों को सूची से हटा दिया जायेगा। **(घ)** पुनः उक्त सूची को निगमों की कुल जनसंख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा तथा सूची में अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु निर्धारित संख्या में आरक्षण, सूची के प्रारम्भ से कर दिया जायेगा। शेष पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रहेंगें। **(दो)** उपनियम (3) के खण्ड (एक) में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित पदों को छोडकर शेष पदों हेतु नगर निगमों की सूची उपनियम (3) के खण्ड (1) (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अनुसार तैयार करके अनुसूचित

		जनजाति हेतु आरक्षण निर्धारित किया जायेगा: परन्तु इस प्रयोजन हेतु उपनियम (3) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में प्रयुक्त "शब्द" "अनुसूचित जाति" के स्थान पर "अनुसूचित जनजाति" पढ़ा जायेगा। **(तीन)** उपनियम (3) के खण्ड (एक) तथा (दो) में क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु उन वर्गों की महिलाओं सहित आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु नगर निगमों की सूची उपनियम (3) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) (घ) के अनुसार तैयार करके पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण निर्धारित किया जायेगा: परन्तु इस प्रयोजन हेतु उपरोक्त उपनियम (3) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) तथा (घ) में प्रयुक्त शब्द 'अनुसूचित जाति' के स्थान पर 'पिछड़ा वर्ग' पढ़ा जायेगा। **(चार)** ऐसे नगर निगमों को छोड़ते हुए जिन्हें उपखण्ड (एक) (दो) और (तीन) के अधीन पद आवंटित किये गये हों, को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। पुनः उक्त सूची से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला हेतु पूर्ववर्ती निर्वाचन में आरक्षित रहे पदों व उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या को छोड़ते हुए सूची के प्रथम नाम से प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक पद महिला हेतु आरक्षित रहेगा जब तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं सहित कुल पदों के एक तिहाई पदों का आरक्षण पूर्ण न हो जाये। **(पांच)** यदि किसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु मात्र एक पद आरक्षित हो रहा हो, तो उसे क्रमशः दो निर्वाचनों में महिला हेतु आरक्षित न करते हुये तृतीय निर्वाचन में महिला हेतु आरक्षित किया जायेगा। **(ख)** यथास्थिति, अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी स्थान आरक्षित न किया जा सके, तो उपनियम (1) के निर्दिष्ट स्थानों के आंवटन की रीति ऐसी होगी मानो उसमें यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए कोई निदेश नहीं है।
उप नगर **प्रमुख** पदों हेतु आरक्षण	7.	**(1)** अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन उप नगर प्रमुख के पदों का आरक्षण और आवंटन एतद्पश्चात्

और आवंटन		उपबन्धित रीति से किया जायेगा– **(2) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–(क)** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि वह नगर निगम के कुल पदों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगर निगमों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी, पिछड़े वर्ग के लिए नगर निगम में आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि वह नगर निगमों के कुल पदों की संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो नगर निगमों में पिछड़े वर्ग की संख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है, और यदि स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो वह भाजक का आधा या आधे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक बढा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी: परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। **(ख)** अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वालें पदों की संख्या उप नगर प्रमुख के अनारक्षित पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि ऐसे पदों की संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी। **(3)** (क) खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए उपनियम (2) के अधीन अवधारित उप नगर प्रमुख के पदों की संख्या राज्य में विभिन्न नगर निगमों को इस रीति से आवंटित की जायेगी कि– नगर निगमों के उप नगर प्रमुख पद हेतु आरक्षण की प्रक्रिया भी नगर प्रमुख पद के आरक्षण के नियमों के अन्तर्गत ही होगी:

		परन्तु यह कि विभिन्न वर्गों में जो पद नगर प्रमुख हेतु आरक्षित हो चुके हैं, उन्हें उन्हीं वर्गो की सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
आवंटन के आदेश–	8.	(1) पूर्ववर्ती नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम 4 या नियम 6 या नियम 7 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों और पदों की संख्या का अवधारण करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, स्थानों और पदों को, यथास्थिति, कक्षों और नगर निगमों को आवंटित करेगी। (2) उपनियम (1) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा। (3) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तदुपरान्त वह अन्तिम हो जाएगा। (4) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित नगर निगमों के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी चस्पा किया जाएगा।

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

Signed by
Gaurav Kumar
Date: 12-12-2024 20:46:02